न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 50/2022

1–शांति देवी पत्नी सुक्का जाति ब्राह्मण निवासी बौलखेड़ा तहसील कामां (भरतपुर) राजस्थान

2–ऊषा देवी पत्नी नन्द कुमार जाति ब्राह्मण निवासी बौलखेड़ा तहसील कामा (भरतपुर) राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1–मूर्ति रामजानकी महाराज विराजमान ग्राम बौलखेडा तहसील कामां जरिये प्रभुदास फलहारी चेला परमानन्द निवासी ग्राम बौलखेडा तहसील कामां (भरतपुर) राजस्थान

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (भरतपुर) राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 28.12.2022

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है। कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1363/0.48, 2204/1364/0.24, 2205/1364/0.24 के पूर्व के साविक खसरा नम्बर 935 रकबा 0.96 हैक्टेयर बांके ग्राम बौलखेडा तहसील कामां से बनाये हैं। पूर्व के साविक 935/0.96 हैक्टेयर बांके ग्राम बौलखेडा तहसील कामां मूर्तिरामजानकी महाराज 1/2 हिस्सा की विश्वम्बर दास, रामअवतार पिसरान चुन्नीलाल के 1/4 हिस्सा की राममूर्ति पत्नी श्यामलाल के 1/4 हिस्सा की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिन्होने न्यायालय उपजिला कलक्टर कामां में अपने हिस्सों के मुताविक दावा पेश करके अपना विधित कानूनी विभाजन कर लिया उस विभाजन में 935/1/0.24 एयर विश्वम्बर रामअवतार 935/2/0.24 एयर राममूर्ति एवं 935/3/0.48 एयर मूर्ति रामजानकी महाराज के हिस्से व कब्जे काश्त में आया पटवारी हल्का की विभाजन प्रस्तावित कुर्रेजात तैयार किये गये । विश्वम्बर दयाल, रामअवतार से खसरा नम्बर 935/1/0.24 एयर को प्रार्थीया नं0 1 द्वारा एवं राममूर्ति से खसरा नम्बर 935/2/0.24 एयर को प्रार्थीया नं0 2 ने खरीद कर उसके हिस्सा व मौका कब्जा प्राप्त कर लिया जो कि मौके पर आज में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 28.03.2005 के मौका व कब्जा प्रस्तावित रिपोर्ट में दर्ज नजरी नक्शा के मुताबिक काबिज है एवं हाल खसरा नम्बर 2204/1364/0.24 की प्रार्थी नं0 1 खसरा नम्बर 2205/1364/0.24 की प्रार्थी नं0 2 एवं 1363/0.48 की अप्रार्थी नं0 1 राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार दर्ज है।

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 935/1/0.24 का नया खसरा नम्बर 2204/1364/0.24 एवं 935/2/0.24 का नया नम्बर 2205/1364/0.24 तथा 935/1/0.24 का नया नम्बर 1363/0.48 बनाया जाकर हाल जो नजरी नक्शा बनाया

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

गया है। वह प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी नं0 1 के पूर्व व हाल मौका कब्जा व न्यायालय द्वारा किये गये विभाजन के विपरीत जाकर बनाया गया है जिसे प्रार्थीयागण जरिये अदालत दरूस्त कराकर न्यायालय की विभाजन डिकी एवं पटवारी हाल की दिनांक 28.03.2005 की रिपोर्ट नजरी नक्शा के मुताबिक हाल नक्शा में खसरा नम्बर 1363 के स्थान पर 2204/1364 व 2204/1364 के स्थान पर 2205/1364 तथा 2205/1364 के स्थान पर 1363 दर्ज करा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू-प्रबन्ध के हाल नक्शा में खसरा नम्बर 1363 के स्थान पर 2205/1364 खसरा नम्बर 2204/1364 के स्थान पर 2205/1364 तथा खसरा नम्बर 2205/1364 के स्थान पर 1363 दर्ज किये जाने के अप्रार्थी नं02 को आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर एक राजीनामा पेश किया कि वहम फरीकेन में आपस में मेल प्यार होकर राजीनामा इस प्रकार से हो गया है कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 935/1/0.24 का नया नम्बर 2204/1364/0.24 एवं 935/2/0.24 का नया 2205/1364/0.24 एवं खसरा नम्बर 935/3/0.48 नम्बर 1363/0.48 बनाया गया परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जो हाल नजरी नक्शा बनाया गया है वह हम प्रार्थीगण व अप्रार्थी के पूर्व व हाल मौका कब्जा के विपरीत जाकर बनाया गया जिसे हम पूर्व व हाल मौका कब्जा के मुताबिक हाल नक्शा में खसरा नम्बर 1363 के स्थान पर 2204/1364 व खसरा नम्बर 2204/1364 के स्थान पर 2205/1364 पर खसरा नम्बर 2205/1364 के स्थान पर 1363 दर्ज किये जाने में हम प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार का कोई उज्र व ऐतराज नहीं है और ना ही कभी भविष्य में होगा। लिहाजा यह राजीनामा वहोश हवाश बिना किसी दबाब के अपनी स्वेच्छा से लिख दिया है सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे वर बिनाय राजीनामा प्रार्थीयागण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट स्वीकार फरमाया जावे।

मौके पर तहसीलदार कामां से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट तहसीलदार कामां के मुताबिक खसरा नम्बर 1363/0.48, 2204/1364/0.24, 2205/1364/0.24 की जांच करनेपर पहुंचा मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि खसरा नम्बर 1363 रोड से लगा हुआ है जिस पर राजस्व रिकार्ड में मूर्ति रामजानकी महाराज दर्ज है जो कि बटाई पर बटाईदार शन्तिदेवी काश्त कर रही है जिसमें सरसों की फसल लगी हुई है तथा खसरा नम्बर मूर्ति रामजान की महाराज द्वारा बटाई पर दिया गया है। मौके पर यह भी बताया गया कि खसरा नम्बर 2204/1364/0.24 जो कि राजस्व रिकार्ड में शंति देवी पत्नी सुक्का के नाम दर्ज है तथा उक्त खसरा नम्बर पर शन्ति देवी द्वारा काश्त की जा रही है तथा इसमें सरसों की फसल लगी हुई है। लोगों द्वारा यह भी बताया गया है कि खसरा नम्बर 2205/1364/0.24 जो कि राजस्व रिकार्ड में उषादेवी पत्नी नन्दकुमार के नाम दर्ज है तथा उक्त खसरा नम्बर पर उषादेवी पत्नी नन्दकुमार द्वारा काश्त की जा रही है तथा इसमें सरसों की फसल लगी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा के आधार पर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 935/1/0.24 का नया नम्बर 2204/1364/0.24 एवं 935/2/0.24 का नया 2205/1364/0.24 एवं खसरा नम्बर 935/3/0.48 नम्बर 1363/0.48 बनाया गया परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जो हाल नजरी नक्शा बनाया गया है वह हम प्रार्थीगण व अप्रार्थी के पूर्व व हाल मौका कब्जा के विपरीत जाकर बनाया गया जिसे हम पूर्व व हाल मौका कब्जा के

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

मुताबिक हाल नक्शा में खसरा नम्बर 1363 के स्थान पर 2204 / 1364 व खसरा नम्बर 2204 / 1364 के स्थान पर 2205 / 1364 पर खसरा नम्बर 2205 / 1364 के स्थान पर 1363 दर्ज किये जाना उचित है ।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 को स्वीकार किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1363 के स्थान पर 2204 / 1364 व खसरा नम्बर 2204 / 1364 के स्थान पर 2205 / 1364 पर खसरा नम्बर 2205 / 1364 के स्थान पर 1363 दर्ज किये जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)
कामां (भरतपुर)